

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

तहसील अधिकारी—

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या
2/निगरानी/15

तारीख दायरा
01.06.2015

तारीख फैसला
07.04.2021

रामनिवास आ० रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी का गोठड़ा ग्राम पंचायत बून्दी का गोठड़ा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी।

—निगराकार

बनाम

1. भगवान शर्मा आ० दुर्गालाल जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी का गोठड़ा ग्राम पंचायत बून्दी का गोठड़ा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी।
2. ग्राम पंचायत बून्दी का गोठड़ा पंचायत समिति हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी जरिये संरंपंच—ग्राम पंचायत बून्दी का गोठड़ा।
3. सचिव, ग्राम पंचायत बून्दी का गोठड़ा पंचायत समिति हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—गैरनिगराकार

उपस्थित—


निगराकार की ओर से — श्री गिरधर गोपाल शर्मा एड०
गैरनिगराकार संख्या 1 की ओर से — श्री संजय कुमार जैन एड०
गैरनिगराकार संख्या 2 व 3 के विरुद्ध — एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

यह निगरानी निगराकार द्वारा अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत बून्दी का गोठड़ा द्वारा जारी आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 8734 दिनांक 03.10.2011 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई हैं। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरनिगराकार को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। गैरनिगराकार संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध दिनांक 03.03.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।

बहस उभयपक्ष समाप्त की गई।

अभिभाषक निगराकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि गैरनिगराकार क्रम संख्या 1 के पक्ष में गैरनिगराकार क्रम संख्या 2 व 3 द्वारा पट्टा संख्या 8734 दिनांक 03.10.2011 को जारी किया गया है। गैरनिगराकार क्रम संख्या 1 का मकान उत्तर दक्षिण 114 फिट 2 इन्च व पूर्व पश्चिम 48 फिट पक्का पट्टीपोश उत्तरमुखी वाके ग्राम बून्दी का गोठड़ा में स्थित है जिसका मुख्य दरवाजा व आवागमन सांवरे नाथ की गली में होकर है। उक्त मकान के चारों ओर पक्की दिवार बनी होकर दिवारों से सीमांकित है। मकान के पश्चिमी ओर गैरनिगराकार का कभी निकास नहीं रहा है। यद्यपि उसने 2011 में बिना ग्राम पंचायत की परमिशन के लोहे का दरवाजा लगा लिया है, स्थाई रूप से बंद है।


जिला कलक्टर

क्रम 2 व 3 ने गैरनिगराकार क्रम 1 को निगराकार के पट्टाशुद्धा मकान के 15x10.6 वर्गफिट आम रास्ते को गैरनिगराकार का पुराना घर विस्थित होना व कब्जा कर अवैधानिक रूप से पट्टा संख्या 8734 दिनांक 03.10.2011 को जारी कर दिया गया है। रास्ते की भूमि को आवंटित करने का ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं होने से पट्टा निरस्तनीय है। गैरनिगराकार क्रम संख्या 1 के पक्ष में रास्ते के स्थान पर जारी पट्टे के पूर्व पश्चिम की ओर निगराकार के मकान बने हुये हैं। दोनों मकानों के बीच में मकानों में आने जाने का आम रास्ता है जिसमें रामचन्द्र माली का भी मकान में जाने का रास्ता है। रास्ते के स्थान पर गैरनिगराकार निर्माण कराने पर आमादा है। यदि उक्त स्थान पर गैरनिगराकार ने निर्माण करा लिया तो निगराकार के मकान की सुन्दरता, रास्ते का उपयोग व उपभोग में भारी बाधा उत्पन्न हो जायेगी। गैरनिगराकार क्रम संख्या 1 का उक्त भूखण्ड पर पुराना कब्जा नहीं है। उक्त स्थान पर पुराना मकान होना तथा 50 वर्षों से अधिक कब्जा होना बताकर गैरनिगराकार क्रम संख्या 2 व 3 ने फर्जी व कटूरचित दस्तावेज, बदनियती व बेईमानी एवं दुर्भावना से ग्रसित होकर पट्टा जारी कर दिया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। पट्टा जारी करने से पूर्व कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। पट्टा संख्या 8734 दिनांक 03.10.2011 का सर्वप्रथम ज्ञान निगराकार को तब हुआ, जब निगराकार के पुत्र ब्रह्मानन्द व महेश कुमार का वाहन दिनांक 25.05.2015 को निगराकार के मकान के सामने आकर खड़ा हुआ तो गैरनिगराकार व उसकी माता ने मकान के सामने से वाहन हटाने व वाहन भविष्य में खड़ा नहीं करने की हिदायत दी तथा कहा कि आपके मकान के आगे के रास्ते का दिनांक 03.10.2011 को ही आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी करवा लिया गया है। अतः निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर गैरनिगराकार संख्या 1 के पक्ष में गैरनिगराकार संख्या 2 व 3 द्वारा जारी पट्टा संख्या 8734 दिनांक 03.10.2011 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे। वकील निगराकार ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2017 पेज 221, आरएलडब्ल्यू 2013 पेज 2753 की नजीरें प्रस्तुत की गई।

वकील गैरनिगराकार क्रम संख्या 1 ने दोहराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि गैरनिगराकार क्रम संख्या 2 व 3 ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर वैधानिक रूप से पट्टा संख्या 8734 दिनांक 03.10.2011 गैरनिगराकार संख्या 1 को जारी किया गया है। गैरनिगराकार के स्वयं के मकान दक्षिण दिशा की तरफ दरवाजा की स्वयं की 15x10.6=159 वर्गफिट भूमि है, जो पिछले 50 वर्षों से पुरानी भूमि है। उक्त भूमि के संबंध में जो आवासीय पट्टा जारी किया गया है, उससे कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। उक्त भूमि रास्ते की नहीं होकर आवास हेतु उपलब्ध भूमि है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज कर पट्टा संख्या 8734 दिनांक 03.10.2011 को यथावत रखा जाता है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट है कि गैरनिगराकार संख्या 1 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 8734 दिनांक 03.10.2011 को जारी किया गया है, जिसका भू माप 15x10.6 वर्गफिट है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह जाहिर आया कि गैरनिगराकार संख्या 1 द्वारा पट्टा जारी करने हेतु दिनांक 24.06.2011 को आवेदन किया गया। सरपंच द्वारा आवेदन पत्र की पुश्त पर आदेशित किया गया कि नियमानुसार कोरम द्वारा मौका देखा जाकर मौका रिपोर्ट कोरम के समक्ष पेश करके कोरम के निर्णय अनुसार पट्टा जारी करने की स्वीकृति दी जाती है। दिनांक 25.06.2011 को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (मौका रिपोर्ट) तैयार की गई है, जिस पर 3 वार्ड पंचों के हस्ताक्षर अंकित हैं। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर सरपंच ग्राम पंचायत बून्दी का गोठड़ा के हस्ताक्षर भी अंकित हैं। तत्पश्चात ग्राम पंचायत

9/6/21

भूमि के प्रस्तावित विक्रय/पुराने मकानों के नियमितकरण के संबंध में आक्षेप प्रस्तुत करने का नोटिस क्रमांक 34 दिनांक 25.06.2011 जारी किया गया है। दिनांक 09.09.2011 तक गैरनिगराकार संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 3 लिया जाकर पट्टा पत्रावली एवं पट्टे का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.09.2011 की अनुपालना में दिनांक 03.10.2011 को गैरनिगराकार संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 8734 दिनांक 03.10.2011 जारी किया गया है। निगराकार का यह कथन कि जिस भूमि पर आवासीय पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि आम रास्ते की है इस संबंध में निगराकार द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगराकार संख्या 1 को आम रास्ते की भूमि का पट्टा जारी कर दिया हो। ग्राम पंचायत द्वारा संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस भी जारी किया गया है, यदि निगराकार को कोई आपत्ति होती तो वह तत्समय अपनी आपत्ति निर्धारित अवधि में ग्राम पंचायत को प्रस्तुत कर सकता था। यहां यह उल्लेखनीय है कि विवादित आवासीय पट्टा ग्राम पंचायत गोठड़ा द्वारा भूमि खसरा संख्या 2846 रकबा 91 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम गोठड़ा में से जारी किया गया है। जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 वाके ग्राम गोठड़ा के मुताबिक उक्त भूमि गैर मुमकिन आबादी में दर्ज है, जो निवास या वास हेतु उपलब्ध भूमि थी। प्रस्तुत प्रकरण में निगराकार की संपूर्ण आपत्तियां पूर्ण नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं हैं, साथ ही वकील निगराकार द्वारा प्रस्तुत नजीरें इस प्रकरण में चरपा नहीं होती हैं।

अतएव: परिणामस्वरूप निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाकर ग्राम पंचायत बून्दी का गोठड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 8734 दिनांक 03.10.2011 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान)
अधिवक्ता जिला कलेक्टर,
बून्दी (सूबा)